14-6-17

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान -2017 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प - जैतपुर में पेश हुई। वकील कारीगण उपस्थित। वकील कारीगण ने प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्योपुर से प्राप्त होने तथा प्राप्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। वकील कारीगण के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर तहसीलदार (भू० अ०) श्योपुर के जरिये पत्रांक 1152/ UR/17 दिनांक 30-5-2017 के द्वारा प्राप्त हो चुके है। जो शामिल पत्रावली है। उक्त विभाजन प्रस्ताव

Gr

पर तमाम पर पक्षकारान के भी सहमति बतौर हस्ताक्षर है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सभी सह खातेदार के द्वारा अपने- अपने हिस्से मे आने वाली भूमियों का बाहमी बटवारा कर कब्जा काबिज कर रहे हैं तथा उसी अनुसार बाईं मिट्स एण्ड बाउण्ड मौके पर विभाजन कर रखा है। जिसके अनुसार पक्षकारान के कब्जे - काबिज अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1305, 1306, 1307 1310 कुल किता 4 कुल रकबा 2.094 हैक्टर अवस्थित ग्राम गोपालपुरा, तहसील - श्रीमाधोपुर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं० 1 ता 15 के मध्य मौके के कब्जा काबिज व हक हिस्सा की खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा नक्शा मे अलग- अलग मिन खसरा नम्बर डालते हुए पृथक- पृथक लगान कायम करते हुए विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये है। प्रकरण मे अधिकांश पक्षकारान के द्वारा वादीगण के पक्ष मे राजीनामा भी पेश किया जा चुका है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारान

6-

अतः वकील काश्तकार द्वारा प्रस्तुत कार्य पत्र न्याय आपके द्वार अभियान -2017 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू०अ०) श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1152/भू०अ० दिनांक 30-5-2017 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करते हुए अलग- अलग मिन् खसरा नम्बर डालते हुए पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे। इसी भाँति पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14-6-17 को न्याय आपके द्वार अभियान-2017 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प- जैतुसर के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(ब्रह्म लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी RAS
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्प- जैतुसर